



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन 18, 1938

No. 171]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 214(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 में,
 - (क) नियम 3 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) अनुसूची में,
 - (i) निदेशक (भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—
 - (अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर- 12 (78800-209200/- रु.);

- (आ) स्तंभ (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (7) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (6) से स्तंभ (13) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा;
- (इ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,—

- (I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन “वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु) और ग्रेड वेतन 6600 रुपये” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “स्तर-11 (67700-208700/-रु.)” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे;
- (II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (i) में “वेतन बैंड-3, (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रुपये” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “स्तर-11 (67700-208700/- रु.)” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) आचार्य के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—
- (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- “स्तर-11 (67700-208700/-रु.)”;**
- (आ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,—
- (I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, “वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु.” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “स्तर-10 (56100-177500 रु.)” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे;
- (II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (i) में “वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु.” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “स्तर-10 (56100-177500 रु.)” शब्द कोष्टक और अंक रखे जाएंगे;
- (iii) सहायक आचार्य के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,—
- (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- “स्तर-10 (56100-177500 रु.)”;**
- (आ) पुनः संख्याकित किया गया स्तंभ (11) में, “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,—
- (I) मद (क) के उपमद (ii) में, “वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु.” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “स्तर-7 (44900-142400 रु.)” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे;
- (II) मद (क) के उपमद (iii) में, “वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु.” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर “स्तर-6 (35400-112400 रु.)” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे।
- (III) टिप्पण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 130, तारीख 7 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 843(अ), तारीख 1 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group ‘A’ posts) Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group ‘A’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group ‘A’ posts) Recruitment Rules, 2010,—
 - (a) in rule 3, for the words “Pay Band and Grade Pay/Pay Scale” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - (b) in the Schedule,—
 - (i) against serial number 1 relating to the post of Director (Indian Institute of Legal Metrology),—

(A) for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix
(4)
Level-12 (Rs.78800-209200/-)”;

(B) column (6) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 7 to 14 shall be renumbered as columns 6 to 13 respectively;

(C) in column (11) as so renumbered,—

(I) under heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Band 3(Rs. 15600-39100) plus grade pay Rs.6600/-”, the words and figures “Level-11 (Rs.67700-208700/-)” shall be substituted;

(II) under heading “Deputation”, in item (a) sub-item(ii), for the words and figures “Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) plus grade pay Rs. 6600/-”, the words and figures “Level-11 (Rs. 67700-208700)” shall be substituted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Professor,—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-11 (Rs. 67700-208700/-)”;

(B) in column (11) as so renumbered,—

(I) under heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Band 3(Rs. 15600-39100) plus grade pay Rs.5400/-”, the words and figures “Level-10 (Rs. 56100-177500/-)” shall be substituted;

(II) under heading “Deputation”, in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) plus grade pay Rs. 5400/-”, the words and figures “Level-10 (Rs. 56100-177500/-)” shall be substituted;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Assistant Professor,—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-10 (Rs. 56100-177500/-)”;

(B) in column (11) as so renumbered, under heading “Deputation”,—

(I) in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Band 2 (Rs. 9300-34800) plus grade pay Rs.4600/-”, the words and figures “Level-7 (Rs. 44900-142400/-)” shall be substituted;

(II) in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Band 2 (Rs. 9300-34800) plus grade pay Rs.4200/-”, the words and figures “Level-6 (Rs. 35400-112400/-)” shall be substituted;

(III) Note shall be omitted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R. 130, dated the 7th August, 2010 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 843(E) 1st September, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 215(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में समूह 'ग', पद भर्ती नियम, 2011 में,

(क) नियम 3 में, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में,—

(i) प्रधान लिपिक-सह-लेखाकार के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर- 6 (35400-112400/- रु.);

(आ) स्तंभ (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (7) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (6) से स्तंभ (13) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा;

(इ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन,—

(I) "वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रुपये" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "स्तर-4 (25500-81100/- रु.)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(ii) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

"स्तर-4 (25500-81100/- रु.);"

(आ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,—

(I) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन,—

(i) "वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-2 (19900-63200/- रु.)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन,—

(i) मद (ii) में "वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-2 (19900-63200/- रु.)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(iii) आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्,—

"स्तर-6 (35400-112400/- रु.);"

(आ) पुनः संख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,

(I) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन,—

(i) "वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-4 (25500-81100 रु.)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन,—

- (i) मद (क) उप-मद (ii) में “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-4 (25500-81100/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;
- (iv) आशुलिपिक श्रेणी-II के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “स्तर-4 (25500-81100/- रु.)”**
- (v) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “स्तर-2 (19900-63200/- रु.)”**
- (vi) भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “स्तर-2 (19900-63200/- रु.)”**
- (vii) स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने,
- (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “स्तर-2 (19900-63200/- रु.)”**
- (आ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में, “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,—
- (i) मद (क) उपमद (ii) में “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1900 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-2 (19900-63200/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) टिप्पण का लोप किया जाएगा;
- (viii) बहु कार्य कर्मचारीवृंद के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—
- “स्तर-1 (18000-56900/- रु.)”**

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 203, तारीख 2 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Group ‘C’ posts in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Group ‘C’ posts in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Group ‘C’ posts in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Recruitment Rules, 2011,—
 - (a) in rule 3, for the words “pay band, grade pay or scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - (b) in the Schedule,—
 - (i) against serial number 1 relating to the post of Head Clerk-cum-Accountant,—

(A) for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix
(4)
Level-6 (Rs. 35400-112400/-);

(B) column (6) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 7 to 14 shall be renumbered as columns 6 to 13 respectively;—

(C) in column (11) as so renumbered, under heading “Promotion”,—

(I) for the words and figures “Pay Band-1(Rs. 5200-20200) plus grade pay Rs. 2400/-”, the words and figures “Level-4 (Rs. 25500-81100/-)” shall be substituted;

(II) Note 2 shall be omitted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Upper Division Clerk,—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-4 (Rs. 25500-81100/-);

(B) in column (11) as so renumbered,—

(I) under heading “Promotion”,—

(i) for the words and figures “Pay Band-1(Rs. 5200-20200) plus grade pay Rs.1900/-”, the words and figures “Level-2 (Rs. 19900-63200/-)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under heading “Deputation”,—

(i) in item (ii), for the words and figures “Pay Band-1(Rs. 5200-20200) plus grade pay Rs. 1900/-”, the words and figures “Level-2 (Rs. 19900-63200/-)” shall be substituted;

(ii) Note III shall be omitted;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Stenographer Grade-I,—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-6 (Rs. 35400-112400/-);

(B) in column (11) as so renumbered,—

(I) under heading “Promotion”,—

(i) for the words and figures “Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus grade pay Rs. 2400/-”,the words and figures “Level-4 (Rs. 25500-81100/-)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under heading “Deputation”,—

(i) in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus grade pay Rs. 2400/-”, the words and figures “Level-4 (Rs. 25500-81100/-)” shall be substituted;

(ii) Note III shall be omitted;

(iv) against serial number 4 relating to the post of Stenographer Grade-II, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-4 (Rs. 25500-81100/-);

(v) against serial number 5 relating to the post of Lower Division Clerk,for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-2 (Rs. 19900-63200/-);

(vi) against serial number 6 relating to the post of Storekeeper, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-2 (Rs. 19900-63200/-);

(vii) against serial number 7 relating to the post of Staff Car Driver(Ordinary Grade),—

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-2 (Rs. 19900-63200/-)”;

(B) in column (11) as so renumbered, under heading “Deputation”,—

(i) in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay Rs. 1900/-”, the words and figures “Level-2 (Rs. 19900-63200/-)” shall be substituted;

(ii) Note shall be omitted;

(viii) against serial number 8 relating to the post of Multi-Tasking Staff, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-1 (Rs. 18000-56900/-)”.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: -The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 203, dated the 2nd July, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 216(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती नियम, 2005 में,

(क) नियम 3 में, “वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में,

(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-12 (78800-209200/- रु.);”

(आ) स्तंभ (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (8) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (7) से स्तंभ (13) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(इ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, “10,000-15,200 रुपए के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर -11 (67700-208700/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (ii) में “10,000-15,200 रुपए वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर -11 (67700-208700/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 293, तारीख 3 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 176, तारीख 19 दिसम्बर, 2009 और सा.का.नि. 712 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005,—
 - (a) in rule 3, for the words “Scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - (b) in the Schedule,—
 - (i) for column 4 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix
4
Level-12 (Rs. 78800-209200/-);

- (ii) column (7) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 8 to 14 shall be renumbered as columns 7 to 13 respectively;
- (iii) in column (11) as so renumbered,—
 - (I) under heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Sclae of (Rs. 10000-15200)”, the words and figures “Level-11 (Rs. 67700-208700/-)” shall be substituted;
 - (II) under heading “Deputation”, in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Sclae of (Rs. 10000-15200)”, the words and figures “Level-11 (Rs. 67700-208700/-)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 293, dated the 3rd September, 2005 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 176, dated the 19th December, 2009 and G.S.R. 712(E) dated the 21st July, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 217(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 में,
 - (क) नियम 3 में, “वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) अनुसूची में,
 - (i) उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—
 - (अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर- 11 (67700-208700/- रु.);

(आ) स्तंभ (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (8) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (7) से स्तंभ (13) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा;

(इ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,

- (I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, “8000-13500/- रुपये के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-10 (56100-177500/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (ii) में “8000-13500 रुपये वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-10 (56100-177500/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने (अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“स्तर-10 (56100-177500/- रु.);”

(आ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,—

- (I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, “5500-175-9000/- रुपये के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-6 (35400-112400/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (i) में “5000-9000 रुपये वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-6 (35400-112400/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 157, तारीख 23 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2010, सा.का.नि. सं. 81, तारीख 1 मई, 2010 और सा.का.नि. सं. 713(अ), तारीख 20 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, namely:-

- (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Department of Consumer Affairs Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008,-
 - in rule 3, for the words “scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - in the Schedule,-
 - against serial number 1 relating to the post of Deputy Director (Legal Metrology),-
 - for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
(4)
Level-11 (Rs. 67700-208700/-);”;

- column (7) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 8 to 14 shall be renumbered as columns 7 to 13 respectively;
- in column (11) as so renumbered, -

(I) under heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Sclae of (Rs. 8000-13500)”, the words and figures “Level-10 (Rs. 56100-177500/-)” shall be substituted;

(II) under heading “Deputation”, in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Sclae of (Rs. 8000-13500)”, the words and figures “Level-10 (Rs. 56100-177500/-)” shall be substituted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Assistant Director (Legal Metrology),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-10 (Rs. 56100-177500/-)”;

(B) in column (11) as so renumbered,-

(I) under heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Sclae of (Rs. 5500-175-9000)”, the words and figures “Level-6 (Rs. 35400-112400/-)” shall be substituted;

(II) under heading “Deputation”, in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Pay Sclae of (Rs. 5500-9000)”, the words and figures “Level-6 (Rs. 35400-112400/-)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN Under Secy.

Note - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 157, dated the 23rd August, 2008 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R 277(E) dated the 1st April, 2010, G.S.R 81 dated the 1st May, 2010 and G.S.R 713 (E) dated the 20th July, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 218(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग, (माप विज्ञान सहायक) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, (माप विज्ञान सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग, (माप विज्ञान सहायक) भर्ती नियम, 2002 में,

(क) नियम 2 में, “वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में,

(i) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-6 (35400-112400/- रु.);

(ii) स्तंभ (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (8) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (7) से स्तंभ (13) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(ii) “सीधी भर्ती” शीर्षक के अधीन, पुनः संख्याकित किया गया स्तंभ (10) में, -

(I) मद (क) के उपमद (ii) में, “5000-8000/-रु. के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर -6 (35400-112400/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) मद (क) के उपमद (iii) में “4500-125-7000-रु. के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर -5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग- II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 327, तारीख 17 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 59, तारीख 27 मार्च, 2010, द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R.218(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs (Metrological Assistant) Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs (Metrological Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Department of Consumer Affairs (Metrological Assistant) Recruitment Rules, 2002,—
 - (a) in rule 2, for the words “Scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - (b) in the Schedule,—
 - (i) for column 4 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix
4
Level-6 (Rs. 35400-112400/-);

- (ii) column (7) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 8 to 14 shall be renumbered as columns 7 to 13 respectively;
- (iii) in column (10) as so renumbered, under heading “Direct recruitment”,—
 - (I) in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “Scale of Pay of Rs. 5000-8000)”, the words and figures “Level-6 (Rs. 35400-112400/-)” shall be substituted;
 - (II) in item (a) sub-item (iii), for the words and figures “Scale of Pay of Rs. 4500-125-7000)”, the words and figures “Level-5 (Rs. 29200-92300/-)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 327, dated the 17th August, 2002 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R 59 dated the 27th March, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 219(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, समूह “ग” पद, भर्ती नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, समूह “ग” पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, समूह “ग” पद, भर्ती नियम, 2016 में,
 - (ग) नियम 3 में, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।
 - (घ) अनुसूची में,
 - (i) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -
 - (इ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर- (25500-81100/- रु.);

(आ) स्तंभ (11) में, -

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, --

- (i) “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 1900 रुपये” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-2 (19900-63200/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,--

- (i) “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 1900 रुपये” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-2 (19900-63200/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) टिप्पण 4 का लाप किया जाएगा;
- (ii) आशुलिपिक ग्रेड-2 के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“स्तर-4 (25500-81100/-रु.);”

(iii) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“स्तर-2 (19900-63200/- रु.);”

(आ) स्तंभ (10) में,

- (i) मद (ii) में “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये और 1800 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-1 (18000-56900/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) टिप्पण 2, मद (ii) में “1800 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-1 (18000-56900/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iv) स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“स्तर-2 (19900-63200/- रु.);”

(आ) स्तंभ (11) में, “प्रतिनियुक्ति/आमेलन” शीर्षक के अधीन “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. के साथ 1800 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-1 (18000-56900 रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(v) बहु कार्य कर्मचारीवृंद के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

“स्तर-1 (18000-56900/- रु.)”।

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 219(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Regional Reference Standards Laboratories, Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Regional Reference Standards Laboratories, Group ‘C’ posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Regional Reference Standards Laboratories, Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2016,-

(a) in rule 3, for the words “pay band and grade pay or pay scale” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Upper Division Clerk,-

(A) for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
(4)
Level-4 (Rs.25500-81100/-);

(B) in column (11),-

(I) under heading “Promotion”,-

(i) for the words and figures “Pay Band-1(Rs.5200-20200) with grade pay Rs.1900/-”, the words and figures “Level-2 (Rs.19900-63200/-)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under heading “Deputation”,-

(i) for the words and figures “Pay Band-1(Rs.5200-20200) with grade pay Rs.1900/-”, the words and figures “Level-2 (Rs. 19900-63200/-)” shall be substituted;

(ii) Note 4 shall be omitted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Stenographer Grade II, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs. 25500-81100/-);

(iii) against serial number 3 relating to the post of Lower Division Clerk,-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-2 (Rs. 19900-63200/-);

(B) in column (10),-

(I) in item (ii), for the words and figures “Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with grade pay Rs. 1800/-”, the words and figures “Level-1 (Rs. 18000-56900/-)” shall be substituted;

(II) Note 2, in item (iii), for the words and figures “grade pay of Rs.1800/-”, the words and figures “Level-1 (Rs. 18000-56900/-)” shall be substituted;

(iv) against serial number 4 relating to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-2 (Rs. 19900-63200/-);

- (B) in column (11), under heading “Deputation/absorption”, for the words and figures “pay band -1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800/-”, at both the places, the words and figures “Level-1(Rs. 18000-56900/-)” shall be substituted;
- (v) against serial number 5 relating to the post of Multi-Tasking Staff, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-
“Level-1 (Rs. 18000-56900/-)”.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 347(E), dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 220(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 में,
(क) नियम 2 में, “वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।
(ख) अनुसूची में,
(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-12 (78800-209200/- रु.);”

(आ) स्तंभ (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (8) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (7) से स्तंभ (13) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(इ) पुनः संख्याकित किया गया स्तंभ (11) में, -

- (I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, “10,000-15,200 रुपए के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर -11 (67700-208700/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (ii) में “10,000-15,200 रुपए वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर -11 (67700-208700/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 337, तारीख 20 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 158, तारीख 21 मई, 2011 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Cooperation)] Recruitment Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [Director (Cooperation)] Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Department of Consumer Affairs [Director (Cooperation)] Recruitment Rules, 2003,-

- (a) in rule 2, for the words "Scale of pay" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
- (b) in the Schedule,-

(A) for column 4 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix"
4
Level-12 (Rs. 78800-209200/-);

(B) column (7) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 8 to 14 shall be renumbered as columns 7 to 13 respectively;

(C) in column (11) as so renumbered,-

(I) under heading "Promotion", for the words and figures "Scale of Pay of Rs. 10000-15200", the words and figures "Level-11 (Rs.67700-208700/-)" shall be substituted;

(II) under heading "Deputation", in item (a) sub-item (ii), for the words and figures "Scale of Pay of Rs. 10000-15200", the words and figures "Level-11 (Rs. 67700-208700/-)" shall be substituted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 337, dated the 20th September, 2003 and subsequently amended vide notification number G.S.R 158 dated the 21st May, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 221(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II के भर्ती नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II के भर्ती नियम, 2005 में,

(क) नियम 3 में, "वेतनमान" दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में,

(i) उप निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -

(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर- 11 (67700-208700/- रु.);

(आ) स्तंभ (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ (8) से स्तंभ (14) को क्रमशः स्तंभ (7) से स्तंभ (13) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा;

(इ) पुनःसंख्याकित किया गया स्तंभ (11) में,--

(I) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, "8000-13500 रु. के वेतनमान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-10(56100-177500/-रु.)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन, मद (क) के उपमद (ii) में “8000-275-13500 रुपए वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान “स्तर-10 (56100-177500/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“स्तर-10 (56100-177500/- रु.)”;

(आ) पुनःसंख्याकृत किया गया स्तंभ (11) में, --

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन,

(i) “6500-10,500/- रुपए के वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-7 (44900-142400/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) “5500-9000/- रुपए के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-6 (35400-112400/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,

(i) मद (क) के उपमद (ii) में “6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-7 (44900-142400/-रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) मद (क) के उपमद (iii) में “5500-175-9000/- रुपए के वेतनमान” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-6 (35400-112400/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 318, तारीख 17 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 157, तारीख 21 मई, 2011 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director(Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade II Recruitment Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade II, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director(Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade II Recruitment Rules, 2005,-

(a) in rule 2, for the words “scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Deputy Director (Co-operation),-

(A) for column 4 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
4
Level-11 (Rs. 67700-208700/-);

- (B) column (7) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 8 to 14 shall be renumbered as columns 7 to 13 respectively;
- (C) in column (11) as so renumbered,-
- (I) under heading “Promotion”, for the words and figures “Pay Band-1(Rs.8000-13500)”, the words and figures “Level-10 (Rs.56100-177500/-)” shall be substituted;
- (II) under heading “Deputation”, in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “pay scale of Rs.8000-275-13500”, the words and figures “Level-10 (Rs.56100-177500/-)” shall be substituted;
- (ii) against serial number 2 relating to the post of Assistant Director (Co-operation),-
- (A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-
- “Level-10 (Rs.56100-177500/-)”;
- (B) in column (11) as so renumbered,-
- (I) under heading “Promotion”,-
- (i) for the words and figures “pay scale of Rs.6500-10500”, at both the places, the words and figures “Level-7 (Rs.44900-142400/-)” shall be substituted;
- (ii) for the words and figures “pay scale of Rs.5500-9000”, the words and figures “Level-6 (Rs.35400-112400/-)” shall be substituted;
- (II) under heading “Deputation”,-
- (i) in item (a) sub-item (ii), for the words and figures “pay scale of Rs. 6500-200-10500”, the words and figures “Level-7 (Rs.44900-142400/-)” shall be substituted;
- (ii) in item (a) sub-item (iii), for the words and figures “pay scale of Rs. 5500-175-9000”, the words and figures “Level-6 (Rs.35400-112400/-)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R. 318, dated the 17th September, 2005 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 157, dated the 21st May, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 222(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2014 में,
 - (क) नियम 3 में, “वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) अनुसूची में,
 - (अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-14 (144200-218200/- रु.);

- (आ) स्तंभ (11) में, “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन;

- (i) मद (क) के,
 (अ) उपमद (ii) में, “वेतन बैंड-4, 37,400-67,00 रु. + ग्रेड वेतन 8,900 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-13क (131100-216600/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 (आ) उपमद (iii) में, “वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु.+ग्रेड वेतन 8,700 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-13 (118500-214100/- रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 (ii) टिप्पण 1 में, “37,400-67,000 रु. के वेतन बैंड और 8,700 रु. के ग्रेड वेतन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-13 (118500-214100/-रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे।
 (iii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 177(अ), तारीख 11 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Consumer Disputes Redressal Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Registrar), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Consumer Disputes Redressal Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2014,—
 - (a) in rule 3, for the words “Pay Band and Grade Pay or scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - (b) in the Schedule,—
 - (A) for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix
(4)
Level-14 (Rs.144200-218200/-);

(B) in column (11), under heading “Deputation”,—

- (i) in item (A),-
 - (a) sub-item (II), for the words and figures “Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 8900/-”, the words and figures “Level-13A (Rs. 131100-216600/-)” shall be substituted;
 - (b) sub-item (III), for the words and figures “Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs.8700/-”, the words and figures “Level-13(Rs. 118500-214100/-)” shall be substituted;
- (ii) in Note 1, for the words and figures “Pay Band of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700/-”, the words and figures “Level-13 (Rs. 118500-214100/-)” shall be substituted;
- (iii) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 177(E), dated the 11th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सा.का.नि. 223 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, बहु कार्य कर्मचारीवृंद (समूह “ग”) पद, भर्ती नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, बहु कार्य कर्मचारीवृंद (समूह “ग”) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, बहु कार्य कर्मचारीवृंद (समूह “ग”) पद, भर्ती नियम, 2012 में,
 - (क) नियम 2 में, “वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान” दोनों स्थानों पर, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) अनुसूची में, स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-1 (18000-56900/- रु.);

[फा. सं. ए-12018/4/2016-स्था.]

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 252, तारीख 13 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, (Department of Consumer Affairs) Multi-Tasking Staff (Group ‘C’) posts Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, (Department of Consumer Affairs) Multi-Tasking Staff (Group ‘C’) posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, (Department of Consumer Affairs) Multi-Tasking Staff (Group ‘C’) posts Recruitment Rules, 2012,—
 - (a) in rule 2, for the words “pay band and grade pay /scale of pay” at both the places, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;
 - (b) in the Schedule, for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix
(4)
Level-1 (Rs. 18000-56900/-)”.

[F. No. A-12018/4/2016-Estt.]

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 252, dated the 13th October, 2012.